सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 20, शुक्रवार, *शाके* 1944-नवम्बर 11, 2022

Kartika 20, Friday , Saka 1944- November 11, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 3, 2022

संख्या एफ.27(क)(1)गृह-2/2022 :-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा-2 के खण्ड (एस) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा पूर्व में जयपुर में स्वीकृत साईबर पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार को छोडकर प्रदेश के शेष 32 पुलिस जिलों में साईबर थानें खोले जाने की घोषणा करती है। इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शासकीय राजपत्र में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट साईबर पुलिस थाना स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का साईबर पुलिस थाना होगा जो उसके अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में होगा :-

क्र.स.	साईबर पुलिस थाने का नाम	साईबर पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
	1	2
1	साईबर पुलिस थाना सीकर	जिला सीकर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
2	साईबर पुलिस थाना झुन्झुनू	जिला झुन्झुनू के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
3	साईबर पुलिस थाना दौसा	जिला दौसा के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
4	साईबर पुलिस थाना अलवर	पुलिस जिला अलवर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
5	साईबर पुलिस थाना भरतपुर	जिला भरतपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
6	साईबर पुलिस थाना सवाईमाधोपुर	जिला सवाईमाधोपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
7	साईबर पुलिस थाना धौलपुर	जिला धौलपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
8	साईबर पुलिस थाना करौली	जिला करौली के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
9	साईबर पुलिस थाना अजमेर	जिला अजमेर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
10	साईबर पुलिस थाना भीलवाड़ा	जिला भीलवाडा के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
11	साईबर पुलिस थाना नागौर	जिला नागौर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
12	साईबर पुलिस थाना टोंक	जिला टोंक के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
13	साईबर पुलिस थाना बीकानेर	जिला बीकानेर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
14	साईबर पुलिस थाना चुरू	जिला चुरू के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
15	साईबर पुलिस थाना गंगानगर	जिला गंगानगर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
16	साईबर पुलिस थाना हनुमानगढ़	जिला हनुमानगढ के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
17	साईबर पुलिस थाना उदयपुर	जिला उदयपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
18	साईबर पुलिस थाना बांसवाड़ा	जिला बांसवाडा के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
19	साईबर पुलिस थाना चित्तौडगढ़	जिला चितौडगढ के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार

20	साईबर पुलिस थाना डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
21	साईबर पुलिस थाना राजसमन्द	जिला राजसमन्द के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
22	साईबर पुलिस थाना प्रतापगढ़	जिला प्रतापगढ़ के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
23	साईबर पुलिस थाना जोधपुर	पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
24	साईबर पुलिस थाना बाड़मेर	जिला बाडमेर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
25	साईबर पुलिस थाना जैसलमेर	जिला जैसलमेर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
26	साईबर पुलिस थाना जालौर	जिला जालौर के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
27	साईबर पुलिस थाना पाली	जिला पाली के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
28	साईबर पुलिस थाना सिरोही	जिला सिरोही के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
29	साईबर पुलिस थाना कोटा	पुलिस जिला कोटा शहर के पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
30	साईबर पुलिस थाना बून्दी	जिला बून्दी के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
31	साईबर पुलिस थाना बारां	जिला बारां के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार
32	साईबर पुलिस थाना झालावाड़	जिला झालावाड के समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार

राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 15(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत उक्त पुलिस स्टेशनों में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारी/पुलिस कर्मी संबंधित जिले (पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के लिए पुलिस आयुक्त, जोधपुर के सामान्य अधीक्षण और नियत्रंण) के पुलिस अधीक्षक/डीसीपी (अपराध) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट पुलिस स्टेशन उनके क्षेत्राधिकार में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, संशोधन अधिनियम 2008, आर्म्स एक्ट 1959, प्रवासी अधिनियम 1983, संशोधन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत आने वाली सभी धाराओं के अपराधों के संबंध में होगा। उक्त साईबर पुलिस थानों के थानाधिकारी उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगे।

यह अधिसूचना इस विषय पर इससे पूर्व प्रसारित सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में समझी जावें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

जगवीर सिंह,
संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।